

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 3 फरवरी, 2011

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-47 / 2010-लेज.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 31-1-2011 को अनुमोदित मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 30) को वर्ष 2011 के अधिनियम संख्यांक 18 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा,
अवतार चन्द डोगरा,
सचिव (विधि)।

2011 का अधिनियम संख्यांक 18

मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 31 जनवरी, 2011 को यथाअनुमोदित)

मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 22) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 है।

2. **धारा 5 का संशोधन.**—मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 5 की उपधारा 1 में,—

(क) खण्ड (i) में "दूरवर्ती शिक्षा के ढंग सहित," शब्दों और चिन्ह का लोप किया जाएगा ;

(ख) खण्ड (v) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(v) प्रायोजक निकाय/विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के लिए पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा तथा कर्मचारियों का वेतन, प्रत्येक माह कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा ;";

(ग) खण्ड (xix) में, "विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्देश्यों के लिए दान और अनुदान प्राप्त करना और" शब्दों के स्थान पर " माता-पिता और छात्रों के सिवाय दान और अनुदान प्राप्त करना तथा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्देश्यों के लिए" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।; और

(घ) खण्ड (xxvii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(xxvii) केन्द्रीय सरकार के विनियामक निकायों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मानकों और विनियमों को पूर्ण करने के पश्चात्, तथा राज्य सरकार का विशेष अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् महाविद्यालय, संस्थाएं, ऑफ कैम्पस केन्द्र, ऑफ शोर केन्द्र और अध्ययन केन्द्र स्थापित करना या दूरवर्ती शिक्षा प्रारम्भ करना ;”।

3. धारा 9 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 9 के खण्ड (घ) में “वसीयतें,” शब्द तथा चिन्ह के पश्चात् और “दान” शब्द से पूर्व “माता-पिता और छात्रों के सिवाय” शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

4. धारा 26 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) का लोप किया जाएगा ।

5. धारा 31 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा (5) अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(5) विश्वविद्यालय, पश्चात्वर्ती वर्षों में विद्यमान पाठ्यक्रमों में, नए छात्रों को प्रवेश देने के लिए या नए पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए, गठित निरीक्षण समिति की सिफारिश के अध्यक्षीन होंगे, राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा । यह अन्तिम वर्ष के छात्रों के बैच को प्रवेश दिए जाने तक लागू रहेगा ।”।

6. धारा 32 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 32 में शब्द “एक मास” जहां-जहां ये आते हैं, के स्थान पर “तीन मास” शब्द रखे जाएंगे ।

7. धारा 40 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (1) में “कुलपति से परामर्श के पश्चात्” शब्दों का लोप किया जाएगा ।

8. धारा 41 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में “पन्द्रह वर्ष” शब्दों के स्थान पर “पच्चीस वर्ष” शब्द रखे जाएंगे ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 18 of 2011

**THE MANAV BHARTI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)
AMENDMENT ACT, 2010**

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 31ST JANUARY, 2011)

AN

ACT

to amend the Manav Bharti University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 22 of 2009)

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Manav Bharti University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2010.

2. Amendment of Section 5.—In section 5 of the Manav Bharti University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 22 of 2009) (hereinafter referred to as the “principal Act”, in sub-section (1),—

(a) in clause(i), the words “including the method of distant education” shall be omitted.;

(b) for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:—

“(v) the sponsoring body/university shall appoint full time regular employees for the university and the salary of the employees shall be deposited in the bank account of the employees every month;”;

(c) in clause (xix) after the words “and grants”, the words “except from parents and students” shall be inserted.;

(d) for clause(xxvii), the following clause shall be substituted, namely:—

“(xxvii) to set-up colleges, institutions, off-campus centres, off-shore campus, study centres or to start distance education, after fulfilling the norms and regulations of the Central Government Regulatory Bodies and Central Government, issued from time to time, and after obtaining the specific approval of the State Government;”.

3. Amendment of Section 9.—In section 9 of the principal Act, in clause (d), after the word and sign “donation,”, the words and sign “except from parents and students,” shall be inserted.

4. Amendment of Section 26.—In section 26 of the principal Act, in sub-section(1), clause(g) shall be omitted.

5. Amendment of Section 31.—In section 31 of the principal Act, after sub-section(4), the following new sub-section shall be inserted, namely:—

“(5) The University shall seek prior approval of the State Government for admitting new students in subsequent years in the existing courses or for starting new courses which shall be subject to recommendations of the inspection committee set up for the purpose. This shall be applicable till the first batch of final year students are admitted.”.

6. Amendment of Section 32.—In section 32 of the principal Act, for the words “one month” wherever these occur, the words “three months” shall be substituted.

7. Amendment of Section 40.— In section 40 of the principal Act, in sub-section (1), the words and signs “after consultation with the Vice-Chancellor,” shall be omitted.

8. Amendment of Section 41.—In section 41 of the principal Act, in sub-section (2), in the proviso, for the words “fifteen years”, the words “twenty five years” shall be substituted.